संख्या-10/2015 /608/26-3-2015-10(15)/2007टीसी

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊः दिनांकः 26 मार्च 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके 1446/स0क0/विकास/एकीकृत योजना 11ए/2014-15 दिनांक 25 फरवरी, 2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-139/26-ब0प्र0-2014- 10(15)/2007टीसी, दिनांक 4 मार्च 2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संचालित अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-भनवापुर के ग्राम-सेखुई गोवर्धन, पेंडारीमुस्तहकम, लेडसर नानकार, कुसुमी तैमियरपुर व शाहपुर में सी0सी0 रोड़/नाली निर्माण व सामुदायिक केन्द्र के नर्माण के स्वीकृत किये गये कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार देय अवशेष कुल धनराशि रू0 107.75 लाख (रू0 एक करोड़ सात लाख पचहत्तर हजार मात्र) स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः

धनराशि लाख रू0 में

जनपद	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि
सिद्धार्थनगर	भनवापुर	सेखुई गोवर्धन	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य	18.69	7.48	11.21
सिद्धार्थनगर	भनवापुर	पेंडारीमुस्तहकम	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य	18.69	7.48	11.21
सिद्धार्थनगर	भनवापुर	लेडसर नानकार	सी0सी0/के0सी0/	38.01	15.20	22.81

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			नाली निर्माण कार्य			
सिद्धार्थनगर	भनवापुर	कुसुमी तमियरपुर	सी0सी0/के0सी0/ नाली निर्माण कार्य	39.95	15.98	23.97
सिद्धार्थनगर	भनवापुर	शाहपुर	सी0सी0/के0सी0/ नाली निर्माण कार्य	30.96	12.38	18.58
सिद्धार्थनगर	भनवापुर	शाहपुर	सी0सी0/के0सी0/ नाली निर्माण कार्य	33.28	13.31	19.97
			योग	179.58	71.83	107.76

2- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान समयान्तर्गत निर्माण इकाई की वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निमयानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता एवं मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी।

6- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिद्धार्थनगर से कार्य कराया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-10-अति पिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य-1004-सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0-9(पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे है।

संलग्नक: पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9(पार्ट-1)

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-10/2015/608/(1)/26-3-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव,अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
4-जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5- सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा,लखनऊ को बी0एम0-9(पार्ट-1)प्रपत्र सहित।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
7-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्धार्थनगर।
9-जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11-समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
12-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र- बी0एम-9(पार्ट-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

अनुदान संख्या-83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2014-15 धनराशि हजार रू0 में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा जारी किया जायेगा		
लेखाशीर्षक आयोजनागत	आवेदन पत्र देने दिनांक पर उपलब्ध/विनियोग		आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1		2	3	4	5	6
4810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष योजना घटक योजना-04-सौर ऊर्जा स्रोतो पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना-24-वृहत निर्माण कार्य		110679	10775	10775	10775	99904
योग		**110679**	**10775**	**10775**	**10775**	**99904**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध् अनुदान/विनि	वित्तीय वर्ष में प्रत्यासित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण	संक्रमण् के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8)

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	योग			धनराशि	
7	8	9	10	11	12
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-1003-सम्पर्क मार्ग-सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण्-24-वृहत निर्माण कार्य-	22960	31493	8533	8533	31493
योग	**22960**	**31493**	**8533**	**8533**	**31493**

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नवत है:- स्तम्भ -1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तवकि आवश्यकता के अनुसार है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- अधूरे कार्यों को पूर्ण् कराये जाने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबंन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

सेवा मे

महालेखाकार लेखा (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबादा

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
समाज क्लयाण विभाग।

<u>संख्या-10/2015/608/(1)/26-3-2015-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3-प्रमुख सचिव,अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।

4-जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा,लखनऊ को बी0एम0-9(पार्ट-1)प्रपत्र सहित।

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

7-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्धार्थनगर।

9-जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।